



समाहरणालय दरभंगा
(जिला राजस्व प्रशाखा)
पत्रांक /रा0

SL-912

समाहर्ता,
दरभंगा।

अध्यक्ष,
बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद,
बिहार, पटना।

लहेरियासराय, दिनांक ११ मार्च २०२२

विषय:- बिहार विधान सभा में दिनांक-०७.०३.२०२२ को ध्यानाकर्षण सूचना से संबंधित प्रतिवेदन का प्रेषण।
प्रसंग:- विधि विभाग के पत्र सं०-एल०आर०टी०-०२-वि०स० (ध्याना०)-१३/२०२२-१२५५/जे० दिनांक-०५.०३.२०२२

महाशय,
उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के आलोक में ध्यानाकर्षण सूचना से संबंधित प्रतिवेदन निम्न प्रकार है:-

क्र०	प्रश्न	उत्तर
१.	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या-४८५०/२०२१ (ARISING OUT OF SLP (CIVIL NO.-३३६७५ OF २०१७) के इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन।	माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उक्त आदेश सभी अंचल अधिकारी को पत्रांक-२६५/रा० दिनांक-११.०२.२०२२ के द्वारा अनुपालन करने हेतु प्रेषित एवं एतदर्थ निदेशित है।
२.	अपने अधीनस्थ क्षेत्र के अधीन मठ/मंदिर, जो निबंधित/अनिबंधित है..... संबंधित वांछित सूचना के संबंध में संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त समीक्षा कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराये।	२. सभी अंचल अधिकारियों द्वारा एतदर्थ जाँच कराई जा रही है। अद्यतन प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार दरभंगा जिलान्तर्गत मठ/मंदिर जो निबंधित/ अनिबंधित है, की संख्या- ५७० एवं सन्निहित रकवा-१३५९.५७ एकड़ है, अंचल अधिकारी को अवशेष जाँच पूर्ण करने एवं खाता, देसरा संकलित करने हेतु निदेशित किया गया है।
३.	अपने अधीनस्थ धार्मिक न्यास के अंतर्गत चिन्हित/सर्वेक्षित मठ/मंदिर की भूमि की पैमाईश कराकर पिलरिंग हेतु वांछित राशि से संबंधित आवंटन का माँग प्रतिवेदन।	३. गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार, पटना के संकल्प ज्ञाप सं०-८७७८ दिनांक-१९.०९.२०१६ के द्वारा चाहरदिवारी के निर्माण का कार्य स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन से कराये जाने का प्रावधान है। मठ/मंदिर की भूमि की पैमाईश किये जाने हेतु सभी अंचल अधिकारी को पत्रांक-५०४/रा० दिनांक-०५.०३.२०२२ के द्वारा निदेशित किया गया है। बिहार धार्मिक न्यास के अंतर्गत चिन्हित/ सर्वेक्षित मठ/मंदिर की भूमि की पैमाईश कराकर पिलरिंग हेतु वांछित राशि से संबंधित आवंटन की माँग स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन से की जायेगी।

4. अपने अधीनस्थ धार्मिक न्यास के अंतर्गत मठ/मंदिर की वैसी जमीन जिसपर अवैध कब्जा है, उसकी पूरी सूची एवं उसे मुक्त कराने एवं बिक्री पर रोक लगाने की क्या कार्रवाई की गयी इससे संबंधित कार्रवाई प्रतिवेदन।	4. मामला संज्ञान में नहीं है। संज्ञान में आने के पश्चात अवैध कब्जा से मुक्त कराने हेतु नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।
--	--

विश्वासभाजन

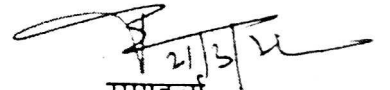
ह/१-

समाहर्ता,
दरभंगा ।

ज्ञापांक 591 /रा० लहेरियासराय दिनांक २१ वी मार्च 2022

प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


समाहर्ता,
दरभंगा ।